

**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

प्रकरण संख्या Ud-D- 41 / 2017 **श्रीमती कत्तु बनाम श्रीमती गंगाबाई**

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-08-2018	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13-9-2012 को 6 तनकीयात कायम की गई है तथा उभयपक्ष द्वारा साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तनकीयात पर तनकीवार निर्णय करने के स्थान पर अपने निर्णय दिनांक 15-3-2017 से आदेश-20, नियम-5 जाब्ता दीवानी के उल्लंघन में बिना प्रत्येक तनकी पर फाईण्डिंग दिये, सरसरी निर्णय पारित किया है। जो आदेश-20, नियम-5 जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आज्ञापक विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।</p> <p>अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15-03-2017 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ <b>प्रतिप्रेषित</b> कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखकर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर, साक्ष्य लेकर तनकीवार विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22-10-2018 को उपस्थित हों।</p> <p>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="center">( एल.एन. मंत्री ) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</p>	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर  
प्रकरण संख्या Ud-D- 41/2017 श्रीमती कत्तु बनाम श्रीमती गंगाबाई

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर  
प्रकरण संख्या Ud-D- 41/2017 श्रीमती कत्तु बनाम श्रीमती गंगाबाई

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर  
प्रकरण संख्या Ud-D- 41/2017 श्रीमती कत्तु बनाम श्रीमती गंगाबाई

--	--	--

**डिगरी व सीगे अपील**

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. ....मुकाम .....  
 उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता **बनाम** श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल  
 श्री कालूलाल नादा निवासी कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा  
 पुला शोभागपुरा रोड पटवार मण्डल उदयपुर (राज0)  
 के पास शोभागपुरा स्कूल के सामने अन्य 10 व सरकार  
 तहसील गिर्वि जिला उदयपुर

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ..... सहायक कलक्टर मु0.....  
 ..... उदयपुर ..... मुकाम मुखर्षे.....27..... माह .....02..... 1993

**दावा बाबत**

यह अपील व तारीख ..... 15..... माह .....06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व  
 हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ..... मिनजानिब अपीलान्त व .....श्री संजय बोहरा ....  
 ..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि अतः अपील अपीलान्त दूषित  
 (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक  
 27-2-1993 यथावत रखा जाता है।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा  
 करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को  
 जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री )  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी  
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 उदयपुर

**खर्चा अपील**

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .....					
2. स्टाम्प वकालत नामा.....					
3. इजराय हुकमनामा .....					
4. वकील फीस बाबत .....					
मीजान .....					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
 दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर  
प्रकरण संख्या Ud-D- 41/2017 श्रीमती कत्तु बनाम श्रीमती गंगाबाई

---

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D- 41/2017 श्रीमती कत्तु बनाम श्रीमती गंगाबाई

**डिगरी व सीगे अपील**

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. ....मुकाम .....  
उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. ....

श्री गंगा पिता देवा डांगी  
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा  
जिला उदयपुर (राज0)  
अन्य -2

**बनाम** श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल  
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा  
जिला उदयपुर (राज0)  
अन्य-6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत .....भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी .....उदयपुर ..... मुकाम मुखर्षे.....08.....  
माह .....07..... 2015

**दावा बाबत**

यह अपील व तारीख ..... 25..... माह .....05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व  
हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री .....  
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि ..... प्रकरण में  
वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा-152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन  
किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण  
संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8-7-2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.  
800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर  
आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा  
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को  
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री )

भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

**खर्चा अपील**

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .....					
6. स्टाम्प वकालत नामा.....					
7. इजराय हुकमनामा .....					
8. वकील फीस बाबत .....					
मीजान .....					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
दिलाया गया हो।